**पंजाब राज्य और अन्य**
**बनाम**
**अंशिका गोयल और अन्य**

**सिविल अपील सं. 317/2022**

25 जनवरी, 2022

**बेंच: एम आर शाह, बी वी नागरत्ना, न्यायाधीशगण**

**सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार :सिविल अपील संख्या 317/ 2022**

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ के 08.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से सिविल रिट याचिका संख्या 17248/2019 से

साथ

सिविल अपील सं. 2022 का 318 और अपील संख्या 2022 का 319–320

सुश्री मीनाक्षी अरोडा, वरीष्ट अधिवक्ता, सुश्री सैमटेन डोमा, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री उत्तरा बब्बर, अधिवक्ता गण –**अपीलार्थी के लिए**

पी.एस. पटवालिया, वरिष्ट अधिवक्ता, गौरवजीत सिंह पटवालिया, सुश्री हर्षिका वर्मा, तुषार बख्शी, आर. पी. शर्मा, दीपक गोयल, के. परमेश्वर, सुश्री ए. शुरीगुरुपिया, प्रसाद हेगडे, पुष्पिंदर सिंह, सुश्री सालिनी कौल, सिद्धार्थ झा, अधिवक्ता –**उत्तरदाताओं के लिए**

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

**श्री एमआर शाह, न्यायाधीश**

1. चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2019 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17248/2019 और सीडब्ल्यूपी नंबर 18989 में पारित किए गए आक्षेपित समान निर्णय और आदेश दिनांक 26.07.2019 और 08.08.2019 से व्यथित और असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और राज्य को एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जिसमें पंजाब राज्य में सभी निजी गैर–सहायता प्राप्त गैर–अल्पसंख्यक चिकित्सा/दंत चिकित्सा संस्थानों में आतंकवादी प्रभावित व्यक्तियों/सिख दंगा प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोते–पोतियों के लिए 1% आरक्षण/कोटा उपलब्ध करना और आगे निर्देश दिया कि उक्त आरक्षण/कोटा प्रबंधन कोटा सीटें पर भी लागू होगा और आगे निर्देश दिया गया कि ताजा अधिसूचना सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में 3% का खेल कोटा भी प्रदान करेगी, पंजाब राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. वर्तमान अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

पंजाब राज्य ने प्रवेश के नियमन, शुल्क निर्धारण और आरक्षण के नियमन के लिए पंजाब निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन, शुल्क निर्धारण और आरक्षण) अधिनियम, 2006 (इसके बाद '2006 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) अधिनियमित किया। पंजाब राज्य में निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। 2006 अधिनियम की धारा 6 में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है और उक्त धारा के अनुसार, सभी निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्थान नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातिकी उन्नति के लिए खुली योग्यता श्रेणी और प्रबंधन श्रेणी में प्रवेश के लिए उस सीमा तक सीटें आरक्षित करेंगे, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है।

2.1 पंजाब राज्य ने वर्ष 2018 में अपनी खेल नीति बनाई जिसमें प्रावधान किया गया कि ग्रेडेड खिलाड़ियों के लिए प्रवेश में 3% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त नीति के खंड 10 में यह भी प्रावधान है कि उक्त खेल नीति पंजाब सरकार के सभी विभागों और संगठनों पर लागू होगी, हालांकि, यदि कोई अन्य विभाग विशिष्ट नीति चाहता है, तो इसे खेल विभाग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 25.07.2019 के आदेश द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने का एक सचेत निर्णय लिया गया था। उक्त आदेश स्पोर्टी नीति, 2018 के खंड 10 को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था।

2.2 शैक्षणिक वर्ष 2018–19 के लिए, राज्य सरकार ने मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए दिनांक 6.2.2018 को अधिसूचना जारी की। उक्त अधिसूचना के खंड 16 में सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में आरक्षण का प्रावधान है और खंड 17 में निजी संस्थानों में प्रवेश का प्रावधान है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ तक सरकारी संस्थानों में राज्य कोटा सीटों का सवाल है, खिलाड़ियों और आतंकवाद प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोते–पोतियों के लिए 1% सीटें आरक्षित थीं, लेकिन निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए समान आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। निजी संस्थानों में सरकारी कोटे की सीटों के संबंध में भी।

2.3 निजी संस्थानों में खिलाड़ियों और आतंकवाद प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोते–पोतियों को आरक्षण प्रदान न करने की सीमा तक दिनांक 6.2.2018 की अधिसूचना के खंड 17 को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। जो कि सरकारी संस्थानों में राज्य कोटा के लिए प्रदान किए गए थे।

2.4 निर्णय और आदेश दिनांक 23.08.2018 द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और घोषणा की कि सरकारी संस्थानों पर लागू आरक्षण निजी संस्थानों पर भी लागू होगा। **बानी सूरी और अन्य के मामले** में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को एक विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 28491/2018 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय ने दिनांक 12.11.2018 के आदेश के तहत उक्त विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था । विशेष रूप से टिप्पणी करते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

2.5 इसके बाद, शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिए, राज्य सरकार ने दिनांक 6.6.2019 को एक अधिसूचना जारी की, जिसे बाद में दिनांक 11.07.2019 के शुद्धिपत्र के माध्यम से संशोधित किया गया। खंड 15 और 16 क्रमशः सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों के साथ–साथ निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए

आरक्षण प्रदान करते हैं। खंड 15 में खिलाड़ियों के लिए 1% आरक्षण का प्रावधान है; सरकारी संस्थानों में राज्य कोटा सीटों में आतंकवाद प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोते–पोतियों के लिए 1% आरक्षण और सिख दंगा प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोते–पोतियों के लिए 1% आरक्षण। खंड 16 में खिलाड़ियों, आतंकवादी प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोते–पोतियों, सिख दंगा प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोते–पोतियों के लिए 1% आरक्षण और रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 1% आरक्षण का प्रावधान है, जहां तक निजी संस्थानों में राज्य कोटा सीटों का संबंध है। हालाँकि, प्रबंधन कोटा सीटों के लिए ऐसा कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

2.6 शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें (i) खिलाड़ियों, आतंकवादी प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोतियों और सिख दंगा प्रभावित व्यक्ति के बच्चों/पोतियों को आरक्षण प्रदान नहीं करने की अधिसूचना जहां तक निजी संस्थानों में प्रबंधन कोटा सीटों का सवाल है, को चुनौती दी गई। ; और (ii) सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों के साथ–साथ निजी संस्थानों में खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण के बजाय 1% आरक्षण प्रदान करने के लिए। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

(ए) राज्य को पंजाब राज्य में सभी निजी गैर–सहायता प्राप्त गैर–अल्पसंख्यक चिकित्सा/दंत चिकित्सा संस्थानों में आतंकवादी प्रभावित व्यक्तियों/सिख दंगा प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोते–पोतियों के लिए 1% आरक्षण/कोटा प्रदान करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है। यह आरक्षण/कोटा प्रबंधन कोटा सीटों पर भी लागू होगा।

(बी) अधिसूचना सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में 3% का खेल कोटा भी प्रदान करेगी।

(सी) समान खेल ग्रेडेशन वाले उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता निर्धारित करते समय, केवल एनईईटी स्कोर पर विचार किया जाएगा।

(डी) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा के कार्यान्वयन और पंजाब राज्य द्वारा इसकी गणना को बरकरार रखा गया है।

2.7 उपरोक्त निर्देशों को जारी करने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित समान फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट, विशेष रूप से राज्य को खिलाड़ियों, आतंकवादी प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोते–पोतियों, सिख दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लिए राज्य के सभी निजी गैर–सहायता प्राप्त गैर–अल्पसंख्यक मेडिकल/डेंटल संस्थानों में आरक्षण/कोटा प्रदान करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश देना और सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में 3% (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 1% के बजाय) का खेल कोटा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है । राज्य ने वर्तमान अपीलों दायर की है।

3. हमने पंजाब राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा और मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पीएस पटवालिया को सुना है।

3.1 उच्च न्यायालय में राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा एक परमादेश रिट जारी करते हुए राज्य में सभी निजी गैर–सहायता प्राप्त गैर–अल्पसंख्यक चिकित्सा/दंत चिकित्सा संस्थानों में राज्य के खिलाड़ियों, आतंकवाद प्रभावित व्यक्ति के बच्चों/पोते–पोतियों, सिख दंगा प्रभावित व्यक्ति के लिए आरक्षण/कोटा प्रदान करने का निर्देश देने के लिए कई प्रस्तुतियाँ दी गई हैं।

3.2 यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को किसी विशेष वर्ग या श्रेणी के लिए आरक्षण प्रदान करने का निर्देश देने वाला कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है और इसे राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। राज्य की ओर से यह भी कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(5) एक समर्थकारी प्रावधान है और किसी विशेष वर्ग/श्रेणी के लिए आरक्षण प्रदान करना अंततः राज्य का काम है और किसी भी राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है और/ या राज्य को किसी विशेष वर्ग या श्रेणी के लिए आरक्षण प्रदान करने का निर्देश देने वाला कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर बहुत अधिक भरोसा किया है:

*(i) गुलशन प्रकाश (डॉ.) और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2010) 1 एससीसी 477 (पैरा 27) में रिपोर्ट किया गया;*

*(ii) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और अन्य, (2015) 12 एससीसी 308 (पैरा 26) में रिपोर्ट किया गया);*

*(iii) सुरेश चंद गौतम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2016) 11 एससीसी 113 (पैरा 49) में रिपोर्ट किया गया; और*

*(iv) मुकेश कुमार और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, (2020) 3 एससीसी 1 (पैरा 18 और 19) में रिपोर्ट की गई*

3.3 सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, पंजाब राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण/कोटा प्रदान करने का निर्देश देने वाला परमादेश भी टिकाऊ नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए केवल 1% आरक्षण/कोटा प्रदान करने का एक सचेत नीतिगत निर्णय लिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य में तथ्यों की स्थिति पर विचार करते हुए आरक्षण/कोटा प्रदान करना अंततः राज्य सरकार पर निर्भर है और आरक्षण/कोटा कितना प्रतिशत होना चाहिए, यह संबंधित राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अपने उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, उसने उपरोक्त निर्णयों पर भी भरोसा किया है।

4. मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पीएस पटवालिया ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत अधिसूचना शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिए थी और इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को लागू कर, प्रवेश दिए गए हैं, खिलाड़ियों के लिए 3% की सीमा तक आरक्षण को छोड़कर।

4.1 आगे प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद शैक्षणिक वर्ष 2021–22 के लिए एक नई अधिसूचना जारी की गई है जिसमें राज्य ने खिलाड़ियों, आतंकवादी प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोते–पोतियों और सिख दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लिए 1 % प्रत्येक की सीमा तक निजी संस्थानों के संबंध में भी आरक्षण प्रदान किया है। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह वर्तमान मामले में मुद्दा अकादमिक हो गया है। अत: प्रार्थना है कि कानून के प्रश्न को खुला रखते हुए अपीलों का निस्तारण किया जाए।

4.2 अब जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण/कोटा प्रदान करने का निर्देश जारी करने का सवाल है, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पटवालिया ने इसका समर्थन करने का प्रयास किया और कहा कि जब खेल नीति, 2018 में पंजाब राज्य में स्थित चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा सहित सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश में खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण प्रदान किया गया, तो राज्य के लिए इससे पीछे हटने का कोई कारण नहीं था और खिलाड़ियों के लिए केवल 1% आरक्षण/कोटा प्रदान करें। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने खेल नीति, 2018 पर विचार करते हुए खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण/कोटा प्रदान करने का सही निर्देश दिया है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना है।

आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने खिलाड़ियों, आतंकवादी प्रभावित व्यक्तियों/सिख दंगा प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोतियों को निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण/कोटा प्रदान करने का निर्देश दिया है और विशेष रूप से निजी संस्थानों में प्रबंधन कोटा प्रदान करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने सभी सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण/कोटा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।

6. अब जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के संबंध में, सभी निजी गैर–सहायता प्राप्त गैर–अल्पसंख्यक चिकित्सा/दंत चिकित्सा संस्थानों में आतंकवादी प्रभावित व्यक्तियों/सिख दंगा प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोतियों और खिलाड़ियों के लिए 1% आरक्षण/कोटा प्रदान करने के निर्देश जारी करने का निर्देश है। सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उक्त मुद्दा शैक्षणिक बन गया है, सबसे पहले इस आधार पर कि उच्च न्यायालय और यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिए था/है. इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिए प्रवेश पहले ही उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार दिए जा चुके हैं , खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण/कोटा प्रदान करने को छोड़कर और 1% आरक्षण लागू करने । इस न्यायालय ने दिनांक 27.08.2019 के आदेश के तहत निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया:

"याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री केके वेणुगोपाल को और प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पीएस पटवालिया को सुना।

अप्रतिनिधित्व/असेवित उत्तरदाताओं को नए सिरे से नोटिस जारी करें। मामलों की कुछ हद तक सुनवाई के बाद, हम मामले में अंतिम सुनवाई करना उचित समझते हैं क्योंकि मुख्य प्रश्न आरक्षण के उद्देश्य से सरकारी सीटों और संस्थानों की सीटों के वर्गीकरण की वैधता के संबंध में उठता है। तथ्य यह है कि निजी संस्थानों में सभी सीटों पर अन्य आरक्षण लागू किए गए हैं। हालाँकि, पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और "टीएमएपीई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य।", (2002)8 एससीसी 481 और "गुलशन प्रकाश (डीआर) और अन्य। बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।", (2010) 1 एससीसी 477,के निर्णयों पर विचार करने के बाद। गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर पूर्ण रोक नहीं होगी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने खेल कोटा 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया है। इसे उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि रकार ने क्षैतिज आधार पर केवल 1% खेल कोटा अधिसूचित किया है। कोटा को 1% से बढ़ाकर 3% करने के संबंध में विवादित आदेश का हिस्सा इस न्यायालय के अंतिम निर्णय तक स्थगित रहेगा। शेष भाग के संबंध में कोई रोक नहीं होगी। 3 काउंसलिंग 7 सितंबर, 2019 तक होनी है। खेल कोटा के संबंध में केवल 1% आरक्षण

लागू किया जाए। अन्य पहलुओं के साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार काउंसलिंग आयोजित की जाए।

6.1 दूसरे, राज्य ने अब शैक्षणिक वर्ष 2021–22 के लिए निजी संस्थानों में प्रवेश के संबंध में भी खिलाड़ियों, आतंकवादी प्रभावित व्यक्तियों/सिख दंगा प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों/पोते–पोतियों के लिए आरक्षण/कोटा प्रदान कर दिया है। इसलिए, पहला मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश जारी करने में सही किया था कि पंजाब राज्य में वह सभी निजी गैर–सहायता अल्पसंख्यक चिकित्सा/दंत चिकित्सा संस्थानों प्राप्त गैर–सरकारी संस्थानों में प्रबंधन कोटा सहित सीटें में आतंकवादी प्रभावित व्यक्तियों / सिख दंगा प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों / पोते–पोतियों के लिए 1% आरक्षण / कोटा प्रदान करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करे, अकादमिक हो गई हैं और इसलिए हम कानून के प्रश्न को खुला रखते हुए वर्तमान अपीलों का निपटान करते हैं। चूंकि इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिए प्रवेश दिए गए हैं, हम निर्देश देते हैं कि उक्त प्रवेश में भंग/प्रभावित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यह देखा गया है कि हमने किसी अन्य विवाद में प्रवेश नहीं किया है और/या उस पर विचार नहीं किया है, जिसमें यह भी शामिल है कि प्रवेश योग्यता के आधार पर किए जाते हैं या नहीं। यदि किसी को कोई व्यक्तिगत शिकायत है तो उस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति कानून का सहारा ले सकता है।

7. जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को खिलाड़ियों के लिए राज्य द्वारा प्रदान किए गए 1% के बजाय 3% आरक्षण/कोटा प्रदान करने का निर्देश जारी करने का संबंध है, यह आक्षेपित निर्णय और पारित आदेश से प्रतीत होता है उच्च न्यायालय ने कहा कि उसने खेल नीति, 2018 को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्देश जारी किया है। यह सच है कि खंड 8.11 (v) के अनुसार, खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण प्रदान किया गया है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि खंड 10 किसी भी अन्य विभाग को 3% के अलावा खिलाड़ियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाली विशिष्ट नीति रखने की अनुमति देता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उसके बाद राज्य सरकार ने दिनांक 25.07.2019 को एक आदेश जारी किया है जिसमें खिलाड़ियों के लिए 1% आरक्षण/कोटा प्रदान किया गया है। उक्त आदेश जारी कर दिया गया है और खेल नीति, 2018 को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के लिए 1% आरक्षण/कोटा प्रदान किया गया है। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा केवल 1% आरक्षण/कोटा खिलाड़ियों को प्रदान करने का एक सचेत नीतिगत निर्णय लिया गया है। इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या किसी विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण/कोटा का एक विशेष प्रतिशत निर्धारित करने के नीतिगत निर्णय लेने वाली राज्य सरकार की कार्रवाई में परमादेश की रिट जारी करके हस्तक्षेप किया जा सकता है, राज्य सरकार को निर्देशित करते हुये कि वह राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय में प्रदान किए गए आरक्षण के अलावा एक विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का एक विशेष प्रतिशत प्रदान करे।

8. उपरोक्त मुद्दे का उत्तर देते समय, ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर चर्चा करना आवश्यक है।

ए) *गुलशन प्रकाश* (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया कि किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, हरियाणा राज्य ने स्नातकोत्तर स्तर पर एससी/एसटी/पिछड़े समुदाय के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया। हरियाणा राज्य द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर आरक्षण प्रदान न करने का एक सचेत निर्णय लिया गया था। इसे चुनौती दी गई थी और इस पर इस न्यायालय ने कहा है कि जैसा कि दावा

किया गया है, न्यायालय द्वारा कोई परमादेश नहीं दिया जा सकता है। उपरोक्त निर्णय में, यह आगे विनिश्चित किया गया और माना गया कि संविधान का अनुच्छेद 15(4) एक समर्थकारी प्रावधान है और राज्य सरकार स्नातकोत्तर स्तर पर एससी/एसटी/पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने के लिए सबसे अच्छी न्यायाधीश है। स्नातकोत्तर स्तर पर आरक्षण के लिए कोई प्रावधान न करने की राज्य की कोई भी नीति और निर्णय किसी भी प्रकार की दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। आगे यह विनिश्चित किया कि प्रत्येक राज्य विभिन्न कारकों के आधार पर आरक्षण के संबंध में अपना निर्णय ले सकता है। इस स्तर पर, यह नोट किया जाना चाहिए कि इस न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि सरकार ने एमबीबीएस स्तर, यानी स्नातक स्तर पर प्रवेश में एससी/एसटी/पिछड़े वर्ग समुदायों के लिए आरक्षण देने का निर्णय लिया है और इसलिए राज्य स्नातकोत्तर स्तर पर भी आरक्षण प्रदान करना होगा । इस पर, इस न्यायालय ने कहा कि चूंकि सरकार ने एमबीबीएस स्तर, यानी स्नातक स्तर पर प्रवेश में एससी/एसटी/पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देने का फैसला किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्नातकोत्तर स्तर पर भी आरक्षण देने के लिए बाध्य है।

बी) *सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और अन्य* (उपरोक्त) के मामले में, पदोन्नति में एससी/एसटी वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने के मुद्दे पर विचार करते समय और जब संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 भारत को सेवा में लाया गया, इस न्यायालय ने विनिश्चित किया कि हालांकि अनुच्छेद 15 और 16 राज्य को संघ या राज्य के रोजगार में एससी/एसटी वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण देकर उनके पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं, फिर भी वे केवल समर्थकारी प्रावधान हैं जो राज्य को इन श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। आगे यह विनिश्चित किया कि जहां तक किसी वर्ग/श्रेणी के पद पर पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के प्रावधान करने का सवाल है, ऐसा प्रावधान एससी/एसटी वर्ग के कर्मचारियों के पक्ष में किया जा सकता है यदि राज्य की राय में वे राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यह विनिश्चित किया है कि इसलिए प्रावधान बनाने की शक्ति राज्य के पास है, लेकिन साथ ही, न्यायालय राज्य को ऐसा प्रावधान करने के लिए कोई परमादेश जारी नहीं कर सकती हैं। पैरा 26 में, विनिश्चित किया है कि:

"26. पहले दृष्टांत में, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अनुच्छेद 15 और 16 में परिकल्पित संवैधानिक स्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं है, जहां तक ये प्रावधान राज्य को एससी/एसटी वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान कर उनके पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं। संघ या राज्य में रोजगार (या उस मामले के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र/प्राधिकरण जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में माना जाता है)। ऐसे एससी/एसटी कर्मचारियों के आरक्षण से संबंधित मुद्दों से संबंधित कोई भी कार्यवाही करते समय इन प्रावधानों में अंतर्निहित प्रशंसनीय उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसा आरक्षण न केवल प्रवेश स्तर पर किया जा सकता है बल्कि पदोन्नति के मामलों में भी स्वीकार्य है। साथ ही, यह भी ध्यान में रखना होगा कि संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) और (4–ए) केवल समर्थकारी प्रावधान हैं जो राज्य को इन श्रेणी के व्यक्तियों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। जहां तक किसी वर्ग या पद के वर्गों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के प्रावधान करने का सवाल है, ऐसा प्रावधान एससी/एसटी वर्ग के कर्मचारियों के पक्ष में किया जा सकता है, यदि राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाएँ में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रावधान बनाने की शक्ति राज्य के पास लेकिन साथ ही, न्यायालय आवश्यक रूप से ऐसा प्रावधान करने के लिए राज्य को कोई परमादेश जारी नहीं कर सकती हैं। किसी भी स्थिति में कार्रवाई करनाऔर ऐसी सकारात्मक कार्रवाई करना राज्य का काम है। बेशक, जब भी भर्ती या पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए ऐसा कोई प्रावधान मौजूद है, तो यह एससी/एसटी वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में एक प्रवर्तनीय

अधिकार प्रदान करेगा और पदों को आरक्षित करने में किसी भी प्राधिकारी की ओर से विफलता पर, चयन/पदोन्नति करते समय, इन प्रावधानों के लाभार्थी अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जिस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए वह यह है कि चयन या पदोन्नति के मामले में आरक्षण के प्रावधान का अस्तित्व, जैसा भी मामला हो, परमादेश मांगने के लिए अनिवार्य शर्त है क्योंकि यह केवल तभी होता है जब राज्य द्वारा ऐसा प्रावधान किया जाता है, यह एक अधिकार है जो अनुसूचितजा ति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पक्ष में अर्जित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"

ग) *सुरेश चंद गौतम* (उपरोक्त) के मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राज्य/राज्यों को संवैधानिक जनादेश को उचित रूप से लागू करने का आदेश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक निर्देश जारी करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4–ए), 16(4–बी) और 335 के प्रावधानों के तहत निहित है, या विकल्प में, उत्तरदाताओं को एक समिति गठित करने या एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करने का निर्देश दे जो *एम. नागराज बनाम भारत संघ*, (2006) 8 एससीसी 212 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सर्वेक्षण और आवश्यक गुणात्मक डेटा एकत्र करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और *जनगणना आयुक्त बनाम आर. कृष्णमूर्ति*, (2015) 2 एससीसी 796 के मामले में इस न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए ऐसी राहत देने से इनकार करना, इस न्यायालय ने विनिश्चित किया है कि इस तरह की प्रकृति का कोई भी परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। इस तरह के प्रकृति के परमादेश की रिट जारी करने से इनकार करते समय, पैरा 49 में, इसे निम्नानुसार विनिश्चित किया गया था:

"49.हाल ही में *जनगणना आयुक्त बनाम आर. कृष्णमूर्ति [जनगणना आयुक्त बनाम वी. आर. कृष्णमूर्ति*, (2015) 2 एससीसी 796: (2015) 1 एससीसी (एल एंड एस) 589] में उच्च न्यायालय के फैसले की शुद्धता से निपटने के दौरान एक तीन–न्यायाधीश पीठ जिसमें उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जनगणना विभाग भारत सरकार देश में जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से जाति–वार जनगणना कराने की दिशा में ऐसे कदम उठाएगी, ताकि सही मायनों में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को हासिल किया जा सके, जो कि देश की जरूरत है। न्यायालय ने संदर्भ का विश्लेषण करते हुए इस प्रकार राय दी: (एससीसी पृष्ठ 806, पैरा 25)

"25। नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप और एक विशेष तरीके से नीति तैयार करने के लिए परमादेश जारी करना बिल्कुल अलग है। अधिनियम ने केंद्र सरकारको जनगणना करने के तरीके के संबंध में अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की है और केंद्र सरकार ने अधिसूचनाएं जारी की हैं, और सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। कानून बनाना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. न्यायालय कानून की व्याख्या करती हैं और ऐसी व्याख्या में कुछ रचनात्मक प्रक्रिया शामिल होती है। कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार न्यायालय को है। वह भी वहीं, जहां इसकी मांग होती है। न्यायालय संवैधानिक चुप्पी या स्थगन के सिद्धांत को लागू करके कुछ क्षेत्रों में अंतराल को भी भर सकता है। लेकिन न्यायालय को परमादेश रिट जारी करके नीति में कुछ जोड़कर नीति–निर्माण में नहीं उतरना चाहिए।"

हमने जनगणना आयुक्त मामला [जनगणना आयुक्त.वी. आर. कृष्णमूर्ति, (2015) 2 एससीसी 796: (2015) 1 एससीसी (एल एंड एस) 589] में उक्त प्राधिकारी का उल्लेख किया है क्योंकि

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि वह न तो कानून बनाता है और न ही कानून बनाने के लिए कोई परमादेश जारी करता है। वर्तमान मामले में राहत, जब उचित रूप से सराहना की जाती है, पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के उद्देश्य से एक नियम या विनियमन तैयार करने की दिशा में एक कदम उठाने के लिए एक परमादेश जारी करने की प्रार्थना के समान है।हमारी सुविचारित राय में, इस तरह की प्रकृति का परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।"

घ) *मुकेश कुमार और अन्य* (उपरोक्त) के मामले में हाल के फैसले में, इस न्यायालय द्वारा फिर से यह दोहराया गया है कि न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को आरक्षण प्रदान करने का निर्देश देने वाला कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। आगे यह निश्चित किया कि राज्य को आरक्षण प्रदान न करने की अपनी कार्रवाई कोउचित ठहराने के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने का निर्देश देने वाला कोई भी परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। यह विनिश्चित किया कि भले ही सार्वजनिक

सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कम प्रतिनिधित्व को न्यायालय के ध्यान में लाया गया हो, आरक्षण प्रदान करने के लिए न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसा मानते हुए, पैरा 18 में, इसे निम्नानुसार विनिश्चित किया गया था:

"18. सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के

प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता या अपर्याप्तता से संबंधित मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए राज्य सरकार को जो निर्देश जारी किया गया था, वह हमारे सामने कुछ अपीलों में चुनौती का विषय है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के मद्देनजर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। किसी व्यक्ति के पास पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को आरक्षण प्रदान करने का निर्देश देने वाला कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। *इंद्रा साहनी [इंद्र साहनी बनाम भारत संघ*, 1992 सप्लिमेंट (3) एससीसी 217: 1992

एससीसी (एल एंड एस) सप्लिमेंट 1], *अजीत सिंह (2) [अजीत सिंह (2) बनाम पंजाब राज्य*, (1999) 7 एससीसी 209: 1999 एससीसी (एल एंड एस) 1239], एम. नागराज [एम. नागराज बनाम भारत संघ, (2006) 8 एससीसी 212: (2007) 1 एससीसी (एल एंड एस) 1013] और जरनैल सिंह [जरनैल सिंह बनाम लछमी नारायण गुप्ता, (2018) 10 एससीसी 396:(2019) 1 एससीसी (एल एंड एस) 86] में इस न्यायालय के निर्णयों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुच्छेद 16(4) और 16(4-ए) समर्थकारी प्रावधान है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाने वाले प्रावधानों और मात्रात्मक डेटा के संग्रह, सार्वजनिक सेवा में पदोन्नति में

आरक्षण प्रदान करने में एक अनिवार्य शर्त है। राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाने वाला डेटा केवल संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4-ए) के अनुसार, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति के मामले में किए जाने वाले आरक्षण को उचित ठहराने के लिए है। इस प्रकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में डेटा का संग्रह, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आरक्षण प्रदान करने के लिए एक शर्त है, और जब राज्य सरकार ने आरक्षण प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होने

के कारण, राज्य को मात्रात्मक डेटा के आधार पर अपने निर्णय को उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं है, जो दर्शाता है कि राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। भले ही सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

के कम प्रतिनिधित्व को इस न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है, इस न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को इस न्यायालय द्वारा *सी.ए. राजेंद्रन [सी.ए. राजेंद्रन बनाम भारत संघ,* (1968)1 एससीआर 721: एआईआर 1968 एससी 507] और *सुरेश चंद गौतम [सुरेश चंद गौतम बनाम यूपी राज्य,* (2016) 11 एससीसी 113: (2016) 2 एससीसी (एल एंड एस) 291] में निर्धारित विधि के आलोक में आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अत: उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश कि राज्य सरकार को पहले सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता या अपर्याप्तता के संबंध में डेटा एकत्र करना चाहिए जिसके आधार पर राज्य सरकार यह निर्णय ले कि दोन्नति में आरक्षण प्रदान करना है या नहीं इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के विपरीत है और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 15–7–2019 के फैसले में दिया गया एक और निर्देश [*विनोद कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य,* डब्ल्यूपी (एस/बी) संख्या 291 ऑफ 2019, निर्णय 15–7–2019 (उत्तर)], यह निर्देश देना कि सहायक अभियंता के पदों पर पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली भविष्य

की सभी रिक्तियां केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से होनी चाहिए, पूरी तरह से अनुचित है और इसलिए इसे रद्द कर दिया गया है।

9. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को मामले के मौजूदा तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने परमादेश की रिट जारी करने और राज्य सरकार को खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1% के बजाय 3% आरक्षण/कोटा के लिए निर्देश देने में गंभीर त्रुटि की है। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए 1% आरक्षण/कोटा प्रदान करने का एक सचेत नीतिगत निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.07.2019 को एक विशिष्ट आदेश भी जारी किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य को खिलाड़ियों के लिए आरक्षण का एक विशेष प्रतिशत प्रदान करने का निर्देश देते हुए एक परमादेश रिट जारी करते समय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, अर्थात्, वर्तमान मामले में, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1% के बजाय 3% आरक्षण। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित समान निर्णय और आदेश जहां तक राज्य को खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण प्रदान करने और/या सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में 3% का खेल कोटा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, असंधायर है और रद्द किये जाने किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को जारी पहला निर्देश कि पंजाब राज्य में सभी निजी गैर–सहायता प्राप्त गैर–अल्पसंख्यक चिकित्सा/दंत चिकित्सा संस्थानों में आतंकवादी प्रभावित व्यक्तियों / सिख दंगा प्रभावितों के बच्चों / पोते–पोतियों के लिए 1% आरक्षण / कोटा प्रदान करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश देता है, वर्तमान अपीलों का निपटारा किया जाता है क्योंकि उक्त मुद्दा यहां ऊपर बताए गए कारणों से अकादमिक हो गया है, हालांकि, विधि का सवाल, कि क्या ऐसा निर्देश /परमादेश की रिट जारी की जा सकती थी, खुला रखा गया है।

10.1 जहां तक पंजाब राज्य में सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में 3% का खेल कोटा प्रदान करने का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा जारी दूसरे निर्देश का संबंध है, इसे यह देखते हुए रद्द कर दिया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा कोई परमादेश रिट जारी नहीं या जा सकता था है। ।

10.2 उपरोक्त निर्णय और आदेश के अनुसार सभी अभियोग/हस्तक्षेप आवेदनों का निपटारा किया जाता है। हालाँकि, यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है, तो वह अपनी शिकायत के लिए विधि का सहारा ले सकता है।

11. वर्तमान अपीलें उपरोक्त शर्तों के अनुसार स्वीकार की जाती हैं। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

दीपक मलिक